बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र03-अ-03-04/2012 3247 /खाद्य,पटना, दिनांक- 24/5/2012

प्रेषक,

सुरेश ठाकुर,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा ।

विषयः- दरभंगा जिला अन्तर्गत विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को दो-तीन प्रखंडों का अतिरिक्त कार्यावंटन करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना है कि दरभंगा जिलान्तर्गत पदस्थापित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को दो-तीन प्रखंडों के कार्य आवंटन के फलस्वरूप आपूर्ति कार्य बाधित होने की शिकायत प्राप्त हुई है ।

आप आवगत हैं कि विभाग में आपूर्ति कर्मियों की कमी के कारण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सम्यक संचालन एवं उनके अनुश्रवण हेतु सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन प्रखंडों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीखक पदस्थापित नहीं है वहाँ जिला पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर अन्य पदाधिकारी यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक का कार्य लें । इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व निर्गत विभागीय पत्रांक 5175 दिनांक 31.08.2010 अवलोक्य है ।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने जिला अन्तर्गत विभाग से पदास्थापित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षकों के कार्यो की समीक्षा कर विभागीय पत्रांक 5175 दिनांक 31.08.2010 के अनुरूप आपूर्ति कार्यो का निष्पादन कराना कृपया सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,
24/5/2012
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र03-अ-03-04/2012 3247 /खाद्य,पटना, दिनांक- 24/5/201

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/5/2012
सरकार के संयुक्त सचिव